शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण / समयबद्ध
परिपत्र संख्या– 15 सामा–1(3) / बं0स्था0आ0का0लख0 / 2019

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 07 जून, 2019

विषय– प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को आदर्श कारागार, लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आदर्श कारागार, लखनऊ में अन्य कारागारों से स्थानान्तरित होकर निरूद्ध हुए बंदियों को चरणबद्ध ढंग से आजादी देने के लिये तथा कारागार से बाहर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आंशिक रूप से खुली कारागार के रूप में स्थापित है। आदर्श कारागार, लखनऊ में कुल सिद्धदोष बंदियों को निरूद्ध रखने की क्षमता 600 है, जिसके सापेक्ष लगभग 300 बंदी ही कारागार में निरूद्ध है। ऐसी दशा में आदर्श कारागार, लखनऊ में बंदियों के उत्थान एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा में प्रतिस्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का कार्य अवरूद्ध है। इस कारागार में एक स्वागत भवन निर्मित है, जहां नये बंदियों को प्रथम 06 माह की अवधि तक कड़ी सुरक्षा में निरूद्ध किया जाता है, इसके उपरान्त उक्त बंदियों को यमुना भवन में निरूद्ध कर दिन में आजाद तथा रात्रि में कड़ी सुरक्षा में निरूद्ध किया जाता है। यहां एक गंगा भवन भी निर्मित है, जहां बंदियों को न्यूनतम सुरक्षा में रखा जाता है।

मुख्यालय स्तर पर गठित उप समिति द्वारा उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास अथवा 07 वर्ष या उससे अधिक सजा से ऐसे पुरूष सिद्धदोष बंदियों को आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नलिखित अर्हताऐं रखते हों:–

1– जिनकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।
2– जो आकस्मिक श्रेणी के सिद्धदोष बंदी हों।
3– जो पूर्णतया स्वस्थ हों तथा कठोर परिश्रम करने की क्षमता रखते हों।
4– जो प्रदेश की किसी कारागार में न्यूनतम 03 वर्ष की सजा सिद्धदोष बंदी के रूप में काट चुका हो।
5– जिनका आचरण अच्छा हो, तथा
6– जिनका अपने परिवार से प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हों।

मुख्यालय स्तर पर गठित उप समिति द्वारा निम्नलिखित सिद्धदोष बंदियों के स्थानान्तरण पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाता है:–

1– चारित्रिक पतन से सम्बन्धित धाराओं जैसे 364, 365ए, 376, 420, 363 आईपीसी व एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डित सिद्धदोष बंदी।
2– मृत्युदण्ड से दण्डित बंदी।
3– उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के निवासी तथा विदेशी बंदी।
4– जनपद लखनऊ के निवासी बंदी अथवा आदर्श कारागार, लखनऊ से 50 किमी0 की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालयों के जनपदों के निवासी बंदी।

आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित होकर निरूद्ध किये गये बंदियों को निम्नलिखित सुविधाएं / लाभ अनुमन्य कराये जाते हैं:–

1– शैक्षिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बंदियों को शिछित बनाये जाने से सम्बन्धित प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं की तैयारी कराये जाने तथा शिक्षा के प्रति जागरूक किये जाने से सम्बन्धित विषयों को सम्मिलित किया जाता है।

2– व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह का कम्प्यूटर कोर्स का प्रारंभिक ई–प्रिजन्स सम्मिलित हैं। इसके उपरान्त दक्ष बंदियों को बंदी कम्प्यूटर शिक्षक बनाया जाता

3– यमुना भवन में सिद्धदोष बंदियों को 06 माह तक निरूद्ध रखकर उसे गंगा योजना में समायोजित होने पर पारिश्रमिक योजना के अन्तर्गत परिश्रम करते हुए आवंटित कार्य दक्षता प्राप्त की जाती है।

4– यमुना भवन में निर्धारित अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के उपरान्त गंगा भवन योजना में स्थानान्तरित किया जाता है। इस योजना में प्रथम 06 माह बंदी को रात्रि में बैरक में निरूद्ध किया जाता है तथा 06 माह की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उसे रात्रि में आजाद कर दिया जाता है। गंगा भवन में सिद्धदोष बंदियों को विभिन्न उद्योगों में साधारण निगरानी के अन्तर्गत श्रम उपलब्ध कराते हुए उस श्रम के बदले शासन द्वारा अनुमन्य मजदूरी की धनराशि का भुगतान प्रतिदिन के हिसाब कराया जाता है।

5– आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को कतिपय शर्तो के अधीन वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिन के गृह अवकाश की सुविधा शासकीय प्राविधानों के अन्तर्गत मुहैया करायी जाती है।

6– शासकीय प्राविधानों के अनुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को नियमानुसार परिहार की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

अतः प्रदेश की विभिन्न कारागारों से आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरण हेतु पूर्व में प्राप्त प्रार्थना पत्रों/स्थानान्तरण प्रस्तावों को निरस्त करते हुए वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागारों को निर्देशित किया जाता है कि वह आदर्श कारागार, लखनऊ में बंदियों को अनुमन्य सुविधाओं/लाभों से परिचित कराने हेतु उसकी एक सूची कारागार कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराते हुए सिद्धदोष बंदियों को अवगत करा दें। ऐसे सिद्धदोष बंदी जो आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरण हेतु उपर्युक्त अर्हताऐं/पात्रता रखते हों, से उनकी सहमति स्वरूप एक प्रार्थना पत्र प्राप्त करते हुए उनके स्थानान्तरण रोल निर्धारित प्रारूप पर, सह–अभियुक्तों का विवरण, उनकी वर्तमान स्थिति एवं कारागार में निरूद्धि के दौरान उनको दिये गये दण्डों के विवरण सहित दिनांक 20.06.2019 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु स्थानान्तरण रोल का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

7/6/19

(वी0पी0 त्रिपाठी)
उप महानिरीक्षक कारागार(मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0– सामा–1(3)/बं0स्था0आ0का0लख0/2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय द्वारा दिये गये उपर्युक्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ कारागारों पर तैनात अधीनस्थ वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक कारागार को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(वी0पी0 त्रिपाठी)
उप महानिरीक्षक कारागार(मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

आदर्श कारागार, लखनऊ स्थानान्तरण हेतु सिद्धदोष बंदियों का स्थानान्तरण रोल का प्रारूप

प्रारूप

क्र0	बंदी का नाम व पिता का नाम	वर्तमान में आयु	दण्ड की धाराएं/ सजा की तिथि	सजावधि	कारागार में प्रवेश की तिथि	विगत 03 वर्षो में मुलाकातों की संख्या	मुलाकात का विवरण		पारिवारिक विवरण	कारागार में बंदी का आचरण	बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति	बंदी को कारागार में दिये गये दण्डों का विवरण (यदि कोई हो तो)	बंदी की श्रेणी		श्रम सम्बन्धी विवरण		बंदी द्वारा दी गयी सहमति (हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी)	चिकित्सा–धिकारी की संस्तुति	वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक की संस्तुति	वरिष्ठ अधीक्षक आदर्श कारागार, लखनऊ की संस्तुति
							माता–पिता, पत्नी व बच्चों द्वारा	परिजनों से भिन्न द्वारा					आकस्मिक	अभ्यस्त	कारागार में श्रम	कारागार में आने से पूर्व व्यवसाय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21